लोक शिक्षण संचालनालय,मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल–462021

क्रमांक/अकादमिक/2025-26/150 भोपाल, दिनांक– 28.01.2025

प्रति,

1. संभागीय संयुक्त संचालक,
   लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्य प्रदेश
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
   मध्य प्रदेश
3. समस्त प्राचार्य हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल
   मध्य प्रदेश

विषयः– नवीन शैक्षणिक सत्र हेतु दिशा–निर्देश जारी करने विषयक।

संदर्भः– मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक–437/1873064/2024/20–2 भोपाल दिनांक 11.03.2024

---00---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन शैक्षणिक सत्र 2025–26 दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ किया जाने का निर्णय लिया गया है। अतः नवीन शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है :–

1. **प्रवेशोत्सव–**

   मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के निर्णय अनुसार अकादमिक सत्र 2025–26 दिनांक 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ है अतः 1 अप्रैल 2025 को प्रत्येक हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालय में निम्नानुसार प्रवेशोत्सव मनाया जावे ।

- समस्त परीक्षाएं समाप्त होने के पश्चात् विभिन्न कक्षाओं के परीक्षा परिणाम (कक्षा–8 से कक्षा–11), 20 मार्च आकर नवीन शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल 2025 से प्रारंभ हो रहा है। अतः पूर्व कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अस्थाई रूप से अगली कक्षा में प्रवेशित मानते हुए कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जावे। प्रवेश की समस्त प्रक्रिया 20 मार्च से 31 मार्च के मध्य पूर्ण कर ली जावे।
- 04 अप्रैल 2025 को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति (SMDC) की बैठक का आयोजन किया जावे एवं उसमें विद्यालय के पूर्व छात्रों को भी आमंत्रित किया जावे। उपस्थित सदस्यों से छात्रों के नामांकन, उपस्थिति, उपलब्धि स्तर तथा सत्र हेतु अध्ययन–अध्यापन की प्रस्तावित कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की जावे।
- कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं खेल कूद गतिविधियों का आयोजन किया जावे।
- प्रवेशोत्सव में सामुदायिक सहभागिता हेतु जिला, विकासखण्ड एवं स्थानीय स्तर पर स्थानीय समाचार पत्रों एवं अन्य गतिविधियों द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे। जिससे जन समुदाय, पालकों एवं विद्यार्थियों को प्रवेशोत्सव की जानकारी हो तथा विद्यार्थियों की शत्–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो। प्रवेशोत्सव में जन प्रतिनिधियों को सादर आमंत्रित किया जावे।
- प्राचार्य के निर्देशन में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा क्षेत्र निवासरत अभिभावकों में सतत संपर्क कर शिक्षण सत्र प्रारंभ की जानकारी प्रदान की जावे।
- प्रत्येक हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी विद्यालय के कैचमेंट क्षेत्र में आने वाले समस्त विद्यालयों के अप्रवेशित विद्यार्थियों को शाला में वापस लाने हेतु विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा अपने क्षेत्र सतत एवं गहन संपर्क अभियान चलाये जावे।
- माह अप्रैल 2025 में अध्यापन हेतु कक्षावार उपलब्ध बैठक व्यवस्था एवं शिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर विषयवार समय–सारणी बनाकर कक्षावार अध्यापन सुनिश्चित करा जावे। जून से जनवरी तक बालसभा हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर में उपलब्ध विषयवार थीम अनुसार गतिविधियां एवं मूल्यांकन किया जाना सुनिश्चित करें।

Scanned with OKEN Scanner

- ऐसे विद्यालय जो कक्षा 5वीं, 8वीं एवं 10वीं तक संचालित हैं उन विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य निकटस्थ विद्यालयों के लिए कक्षा 6वीं,9वीं तथा 11वीं में प्रवेश की कार्यवाही म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र कमांक 2091/2395348/2024/20-2 दिनांक 06/12/2024 के अनुपालन में करेंगे।
- शासकीय हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विद्यार्थियों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं शासकीय योजनाओं के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये जिससे कि विद्यार्थी शासकीय विद्यालयों में प्रवेश लेने हेतु आकर्षित होवें।
- कक्षा 9 एवं 10 में विद्यार्थियों को सत्र 2025-26 के अध्यापन से संबंधित मूल अवधारणाओं का अभ्यास कराया जावें। उन्हें हिन्दी में श्रुतलेख, मात्रा की त्रुटियां इत्यादि में सुधार कराया जावें। अंग्रेजी में शब्दकोष से शब्द, अपठित गद्यांश हल करना एवं ग्रामर का अभ्यास कराया जावे। गणित में गुणा, भाग, भिन्न, आकृतियां एवं ज्यामिति संबंधी आवश्यक प्रश्न दिया जावे एवं अभ्यास कार्य दिया जावे।
- कक्षा-10 के विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा के स्तर की प्रारंभिक तैयारी एवं पाठ्यक्रम को शीघ्र पूर्ण कर पुनरावृत्ति की वार्षिक कार्य योजना शिक्षकों की सहायता से तैयार कराई जाए।
- कक्षा-10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सत्र भर के प्रदर्शन के आधार पर एवं उनकी रूचि के आधार पर 11वी के संकायों का वैकल्पिक चुनाव कर, विषयगत मूल अवधारणाओं को स्पष्ट किया जावे।
- कक्षा-12वी में अध्ययनरत होने वाले विद्यार्थियों को कक्षा-11 के मूल अवधारणाओं वाली इकाईयों का, एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में 11वी के पाठ्यक्रम से आने वाले प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास कराया जावे।
- पूरे माह गतिविधि पर आधारित कार्य अधिक से अधिक दिए जावें। विद्यार्थियों को ग्रीष्म अवकाश को देखते हुए स्थानीय, विषयगत एवं कौशल विकास के प्रोजेक्ट कार्य चिन्हित करते हुए व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से पूर्ण करने के लिए दिए जावें।

2. शैक्षणिक कैलेण्डर की गतिविधियों का क्रियान्वयन –

- कक्षा-9वी से 12वी तक की कक्षाओं में अकादमिक, सह-अकादमिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु संचालनालय द्वारा शैक्षणिक कैलेण्डर सत्र 2025-26 जारी किया जाकर दिनांक 30.03.2025 तक विमर्श पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शैक्षणिक कैलेण्डर की हार्ड कॉपी भी आपके विद्यालय में भेजी जा रही है। कैलेण्डर में उल्लेखित समस्त गतिविधियों को कराया जाना सुनिश्चित करें।
- शैक्षणिक कैलेण्डर में मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास एवं वार्षिक परीक्षाओं की संभावित तिथियां दर्शायी गई हैं, जिसके आधार पर कैलेण्डर में माहवार एवं इकाईवार पाठ्यक्रम वर्णित किया गया है, को विद्यालय के समस्त शिक्षकों को उपलब्ध कराया जाकर तदनुसार अध्यापन कार्य कराया जाये।

3. ब्रिज कोर्स का संचालन –

कक्षा-9वीं के विद्यार्थियों में हिन्दी, अंग्रेजी एवं गणित विषयों की दक्षता स्तर में सुधार करने के लिए ब्रिज कोर्स संचालन हेतु संचालनालय से जारी पत्र के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।

4. सतत् एवं व्यापक अधिगम एवं मूल्यांकन –

विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों (चिंतनशील सोच, रचनात्मकता, सहयोगात्मकता एवं संवाद कौशल) को विकसित करने एवं विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता हेतु प्रदेश के हाईस्कूलों एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार के प्रथम 3 कालखण्डों में बालसभा का आयोजन किया जाए। बालसभा आयोजन के विस्तृत निर्देश शैक्षणिक कैलेण्डर में उपलब्ध कराये जा रहें है।

Scanned with OKEN Scanner

5. **सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों (UHV) की गतिविधियों का आयोजन –**

सी.एम.राईज विद्यालयों एवं जिला उत्कृष्ट एवं भोपाल के शहरी विद्यालयों में सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों की गतिविधियों को प्रारंभ किया गया है। इस संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक/अकादमिक/UHV/प्रशिक्षण/2023/1279 भोपाल, दिनांक 22.06.2023 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं तद्नुसार UHV की गतिविधियों को कराया जाना सुनिश्चित करें। प्रदेश के समस्त सीएम राईज स्कूल, जिला उत्कृष्ट विद्यालय तथा भोपाल नगर के सभी विद्यालयों में शनिवार को प्रथम काल खण्ड में यूएचवी तथा शेष दो काल खण्ड में सीसीएलई लगाया जावे।

6. **विद्यालय समय–सारणी –**

शैक्षणिक कैलेण्डर के माध्यम से विद्यालय की आदर्श समय सारणी जारी की गई है, तदानुसार सभी विषयों के कालखण्डों के साथ–साथ स्काउट गाइड, रेडक्रॉस, एन.एस.एस., एन.सी.सी, ईको क्लब, जीवन कौशल शिक्षा, उमंग, स्कूल हैल्थ एण्ड वैलनेस कार्यक्रम, पुस्तकालय, खेल, योग एवं फिट इंडिया मूवमेंट की गतिविधियाँ अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

7. **पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन –**

विद्यार्थियों को उनके जीवन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने, अंतर्निहित क्षमताओं के प्रकटीकरण एवं बहुमुखी प्रतिभा के विकास में पाठ्य सहगामी गतिविधियों की महती उपयोगिता रहती है। इस हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे– कला उत्सव, बालरंग, कालिदास संस्कृत समारोह, मोगली बाल उत्सव, वीर बाल दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस की गतिविधियों का शैक्षणिक कैलेण्डर में दिए विवरण अनुसार विद्यालय में आयोजन किया जाकर अधिकाधिक विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्रदान किया जावे तथा चयनित छात्रों की विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य/राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता सुनिश्चित कराई जावे।

8. **प्रार्थना सभा का आयोजन –**

शैक्षणिक कैलेण्डर में भारत के महापुरूषों की जयंती/पुण्यतिथि एवं अन्य महत्वपूर्ण दिवसों की जानकारी दी गई है, तद्नुसार उक्त संबंध में प्रार्थना सभा में जानकारी दी जाकर निर्देश अनुसार आयोजन सुनिश्चित करें। प्रार्थना सभा में आज का कैलेण्डर/पंचांग, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा, समाचार वाचन, जन्मदिन अभिनंदन, सूचनाएं, पी.टी./एरोबिक्स, मध्य प्रदेश गान एवं राष्ट्रगीत का आयोजन प्रतिदिवस किया जावे।

9. **प्राचार्य चार्टर का क्रियान्वयन –**

विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु शैक्षणिक कैलेण्डर के माध्यम से प्राचार्य चार्टर में उल्लेखित कार्यो एवं स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का समय–सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे।

आशा है आप उक्त निर्देशों का पालन करते हुए विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन से अपने विद्यालय को एक नया आयाम प्रदान करेंगे।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(रवीन्द्र कुमार सिंह)
अपर संचालक
लोक शिक्षण,मध्य प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner

क्रमांक / अकादमिक / 2025-26 / 151 भोपाल, दिनांक– 28.01.2025

प्रतिलिपि–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
5. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
6. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्य प्रदेश, भोपाल की ओर लेख है कि कक्षा 8वी का परीक्षा परिणाम 30 मार्च के पूर्व जारी करें जिससे कि कक्षा 8वी उत्तीर्ण विद्यार्थी नवीन शैक्षणिक सत्र में कक्षा 9वी में प्रवेश ले सके।
7. अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, मध्य प्रदेश भोपाल।
8. कलेक्टर, समस्त जिले मध्य प्रदेश।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले मध्य प्रदेश।
10. सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, समस्त जिले मध्य प्रदेश।
11. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र, समस्त जिले मध्य प्रदेश।

अपर संचालक
लोक शिक्षण,मध्य प्रदेश

Scanned with OKEN Scanner